फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जगदीश		सीताराम व अन्य

केस संख्या 5 / 25 (2025 / 65 online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.01.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्ददेश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी भू.अभिलेख नि.क्षैत्र बस्सी तहसील बस्सी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 1.4677 है0. तथा खसरा नम्बर 46 रकबा 0.0600 है0. एवं 47 रकबा 1.0082 है0. के संबंध में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28 / 01 / 25 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। वकील प्रार्थी तलबाना सात (7) दिवस में पेश करें। बाद जॉच नोटिस अप्रार्थीगण को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, नोटिस भेजकर डाक रसीद पेश करें। पत्रावली पुनः दिनांक 28 / 01 / 25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेश हुआ नोटिस की तामील बाकी होने से पत्रावली दिनांक 25-2-25 को पेश हो। [signature]	
25/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार होने पर प्रार्थना पत्र नम्बर पर लिया गया। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित (जिनमें पर्याप्त वकील प्रार्थी [signature]	जगदीश (बाबूलाल) [signature] 25/2/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	निगरानी प्रस्तुत की है। मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद बिन्दु स्वीकार होने से दावा खारिज हो चुका है। अब उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य न होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 7.1.25 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)